सदर बाजार मुरार बना 'नो व्हीकल' की जगह 'फुल ट्रैफिक' जोन

दिव्यानंद अर्गल

ग्वालियर 11 मई. लश्कर के बाद मुरार शहर का दूसरा प्रमुख इलाका है। यहां सड़क पर ही साठगांठ से अवैध बाजार लग रहा है। साठगांठ इसलिए क्योंकि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के जिन अधिकारियों पर यहां सड़क को जाम मुक्त कर ट्रैफिक व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी है, वह मौन हैं। पूरे दिन यहां बाजारों में जाम से

जिला अस्पताल और थाने के गेट पर रोज लगता है जाम, घंटों तक फंसे रहते हैं लोग

जनता जूझती रहती है, लेकिन जिम्मेदारों को आम जनता की यह परेशानी नजर नहीं आती। नवभारत टीम ने जब मुरार के अलग-अलग बाजारों में जाकर हकीकत जानी, तब सामने आया कि बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर 5 से 10 फीट तक सड़क घेर रखी है। सड़क पर ही हाकर्स और हाथ ठेले हैं। पूरे बाजार में न तो ट्रैफिक पुलिस नजर आई न ही नगर निगम का मदाखलत अमला नजर आया।

दुकानों के अंदर से ज्यादा सड़क पर सजा है सामान- सदर बाजार मुरार का सबसे प्रमुख बाजार है। यहां राशन से लेकर कपड़े व अन्य सामान की दुकानें हैं। यहां दुकानदारों ने सबसे ज्यादा सड़क घेर रखी है। कई जगह तो यह हालात हैं, दुकान के अंदर से ज्यादा सामान दुकान के बाहर रखा है। पूरे बाजार में मदाखलत की गाड़ी ही नजर नहीं आई। सड़क के दूसरी तरफ हाकर्स, हाथ ठेले लगे हैं। कई जगह तो महज 5 से 7 फीट रोड ही वाहनों के निकनले के लिए बचती है।

थाना और हॉस्पिटल के सामने जाम, पैदल चलना भी मुश्किल - शहीद गेट से बारादरी चौराहे तक सड़क किनारे ही गाड़ियां सुधारी जा रही हैं। सेनेट्री, फर्नीचर की दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने सामान बाहर रख रखा है। इसके बाद दुकानदार और उनके कर्मचारियों की गाड़ियां, इसके बाद यहां ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी होती हैं। बारादरी चौराहे पर सवारी वाहन सबसे बड़ी परेशानी हैं। यहां लेफ्ट टर्न पर ही सवारी वाहनों का कब्जा है। मुरार थाने के बाहर से लेकर जिला अस्पताल और इसके आसपास के बाजारों में सड़क पर कब्जा है। थाने के बाहर ही जाम लगता रहता है, अस्पतालों के बाहर अवैध रूप से सड़क पर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं।

जानिये क्यों लगता है मुरार में जाम- मुरार क्षेत्र के गरम सड़क से लेकर सदर बाजार तक ठेलों वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण से जाम की स्थिति बनी रहती है। राहगीरों को वहां से गुजरते समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक यह सब पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों का मिलीभगत का नतीजा है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से सड़कों के होने वाले अतिक्रमण को नगर निगम हटाता आ रहा है। इस दौरान निगम अधिकारियों ने ठेले वालों को समझाइश भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी वे पुन: अतिक्रमण कर सड़कों पर आ जाते हैं।

हॉकर्स जॉन में नहीं जाते ठेले वाले- मुरार क्षेत्र के चौराहे पर निगम द्वारा ठेले वालों के लिए हॉकर जॉन बनाकर दिया गया है लेकिन निगम की लापरवाही के कारण ही ठेले वाले हॉकर जॉन में जाने के वजाए सड़क पर ही ठेले लगाकर अपना धंधा कर रहे हैं। इस बाजार को जाम से मुक्त करने के लिए 2019 में सदर बाजार, अग्रसेन चौक व रामलीला मैदान रोड से हाथ ठेले और फुटपाथियों को हटा कर सिंहपुर रोड व मछली मंडी के हॉकर्स जोन में पहुंचाया गया था। सदर बाजार में व्यवस्थाएं सुधर गई थीं। लेकिन सख्त मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये ठेले और फुटपाथी वापस सदर बाजार की सड़कों पर बैठ गए व हॉकर्स जोन खाली हो गए।

इन लोंगो का कहना है

हम खुद चाहते हैं कि बाजार व्यवस्थित रहे, लेकिन मजबूरी देखिए। जब सड़क पर ही हाथ-ठेले और हॉकर्स लग जाएंगे, तो ग्राहक हमारी दुकान के अंदर तक कैसे आएगा ? अगर हम अपनी दुकान के बाहर थोड़ा सामान डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो वो भीड़ में छिप जाएगी। अगर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस सख्ती से सड़क क्लियर कराए और पार्किंग की व्यवस्था करे, तो हम भी सहयोग करने को तैयार हैं।

- विनीत सिंघल , दुकानदार कपड़ा व्यापारी

हॉकर्स जोन ऐसी जगह बना दिए जाते हैं जहाँ ग्राहक पहुँचता ही नहीं। अगर हम अंदर बैठ जाएंगे तो भूखें मर जाएंगे। रही बात अतिक्रमण की, तो हम गरीब लोग तो थोड़ा सा हिस्सा घेरते हैं, असली जगह तो बड़ी दुकानों के सामान और उनकी गाड़ियों ने घेरी हुई है। हम तो रोज कमाते-खाते हैं, नगर निगम की गाड़ी आती है तो भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि पेट का सवाल है।

- अमित सोन , हाथ ठेला व्यापारी

मुरार सदर बाजार आना मतलब सिर दर्द मोल लेना है। दोपहिया वाहन खड़ा करने तक की जगह नहीं मिलती। हर जगह नो पार्किंग के बोर्ड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो पुलिस के सामने ही बीच सड़क पर गाड़ियां सुधारी जा रही हैं। बारादरी चौराहे पर सवारी ऑटो वालों ने तो जैसे सड़क खरीद ली है। प्रशासन सिर्फ कागजों पर प्लानिंग करता है जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। हम जैसे लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। **- आकाश अनंत , निवासी मुरार**

घर के पास होने की वजह से हमें इसी बाजार में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पैदल चलना भी दूभर है। दुकानों के बाहर 10-10 फीट तक सामान फैला है, ऊपर से हाथ-ठेले वालों की कतार। बच्चों को साथ लेकर आने में डर लगता है कि कहीं कोई वाहन टक्कर न मार दे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिला अस्पताल के पास भी एम्बुलेंस जाम में फंसी रहती है। प्रशासन को कम से कम महिलाओं और बुजुर्गों की सुविधा के लिए पैदल मार्ग तो बनाना ही चाहिए। **मंजू नरवरिया राजपूत , निवासी मुरार**

चश्मे से आज़ादी की क्रांति : जब दृष्टि बनी आत्मविश्वास और सफलता की नई पहचान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मई. कभी मोटे, भारी चश्मे को 'बुद्धिमत्ता' का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज के आधुनिक, गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक युग में वही चश्मा कई लोगों के लिए आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और जीवनशैली के बीच एक अदृश्य दीवार बन चुका है। डिजिटल स्क्रीन, तेज़ रफ्तार जीवन और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षाओं के बीच अब साफ़, स्पष्ट और स्वतंत्र दृष्टि केवल एक सुविधा नहीं—बल्कि आवश्यकता बन चुकी है।

इसी बदलती सोच और तकनीकी क्रांति के केंद्र में हैं - डॉ. पुरेन्द्र भसीन जिन्होंने 31+ वर्षों के अपने समृद्ध अनुभव में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हजारों-लाखों सफल सर्जरी करते हुए मध्य भारत, विशेषकर ग्वालियर को विश्वस्तरीय आई केयर सुविधाओं से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

दृष्टि सुधार का नया अध्याय: काउंटरा लसिका- काउंटरा विजन लसिका आज केवल एक सर्जरी नहीं, बल्कि दृष्टि की गुणवत्ता को पुनर्परिभाषित करने वाली तकनीक बन चुकी है। यह एक अत्याधुनिक, कंप्यूटर-गाइडेड

लेज़र प्रक्रिया है, जो आंखों की सतह (कॉर्निया) के सूक्ष्मतम अनियमितताओं को पहचानकर उन्हें सटीक रूप से ठीक करती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता है—इसका पूरी तरह ब्लेडलेस, पेनलेस और स्यूचरलेस होना। जहां पहले सर्जरी को लेकर भय और असहजता होती थी, वहीं अब यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है और मरीज अगले ही दिन से सामान्य जीवन में लौट सकता है। काउंटरा लसिका न केवल चश्मे का नंबर हटाती है, बल्कि 'विज़न क्वालिटी' को भी बेहतर बनाती है—जिससे मरीजों को एचडी विज़न का अनुभव होता है। रात में देखने की क्षमता, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी और विज़ुअल क्लैरिटी में स्पष्ट सुधार देखा जाता है।

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.03.2026 के दैनिक समाचार पत्र में क्षेत्र क्रं 21 वार्ड 54 की विज्ञप्ति में 845 वर्गफुट भूलवस लिख गया है एंव मृत्युउपरान्त लिखना भूल गये थे। अतः जिसका एरिया 632 वर्गफुट पडा जावे एंव मृत्युउपरान्त लिख जावे बाकी सब यथावत है।

आवेदक-पुरूषोत्तम मोटवानी/स्व. श्री हीरालाल मोटवानी, पता-आर्मी की बजरिया ग्वा0,मो0-9752712017

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15, वार्ड क्रं 43,भवन क्रं 1152, स्थान राणे खां की गोठ ग्वा0 मे स्थित है जो कि कु. सुमाइला अली/सैयद फेज अली के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000094339 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 346 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पंजीयन क्रं एमपी142602021ए31032586 दिनांक 08.12.2021 वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 08.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48648/48615 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - सैयद फेज अली/स्व. सैयद बसीर अली पता-राणे खां की गोठ ग्वा0(म.प्र.) विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15, वार्ड क्रं 43,भवन क्रं 1152, स्थान राणे खां की गोठ ग्वा0 मे स्थित है जो कि कु. सुमाइला अली/सैयद फेज अली के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000095924 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 662 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पंजीयन क्रं एमपी142602021ए31032586 दिनांक 08.12.2021 वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 08.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48649/48616 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - सैयद फेज अली/स्व. सैयद बसीर अली पता-राणे खां की गोठ ग्वा0(म.प्र.) विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

एलुमनाई एंगेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मई. माधव विधि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में 'एलुमनाई एंगेजमेंट प्रोग्राम' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिला न्यायालय, ग्वालियर के पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता सचिन अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने विधि के छात्रों को संबोधित करते हुए 'भविष्य की वकालत और न्यायिक प्रक्रिया' के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। अग्रवाल ने छात्रों को न्यायालय में अभ्यास के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में सुझाव दिए। उन्होंने जोर दिया कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए निरंतर अध्ययन और कानूनी बारीकियों की समझ आवश्यक है।संवाद सत्र में महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए, जिन्होंने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

मालनपुर आंगनवाड़ी केन्द्र पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मई. फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की ग्वालियर शाखा द्वारा आज मालनपुर तिल्लोरी आंगनवाड़ी केंद्र पर विक्रम वूलेन मालनपुर के सहयोग से स्वास्थ्य संस्था पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप मे डॉ. अर्चना जैन उपस्थित थीं।

कार्यक्रम में संस्था के कार्यक्रम अधिकारी अच्छेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा उपस्थित सभी महिलाओं को सामान्य बीमारियों पर जानकारी दी एवं बचाव पर भी चर्चा की । साथ ही उन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी दी। फील्ड कॉर्डिनेटर पंकज अग्रवाल द्वारा सभी महिलाओं को संस्था के अन्य कार्यक्रमों पर जानकारी दी गई। आरती यादव ने उपस्थित महिलाओं से चर्चा की। रानी नरवरिया द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कुसमा ने सभी का आभार व्यक्त किया ।

करोसिया निगमायुक्त से मिले, सफाईकर्मियों के वेतन में अब नहीं आएगी समस्या

ग्वालियर 11 मई. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य एवं वरिष्ठ दलित नेता गुरुमुख करोसिया ने नगर निगम आयुक्त संघप्रिय से भेंट कर कहा कि सफाई कर्मियों का वेतन लेट हो रहा है। एक से लेकर 15 तारीख तक वेतन दिया जा रहा है। इस कारण कर्मचारियों के परिवार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि वेतन का समय फिक्स किया जाए। 1 से 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों का वेतन आ जाना चाहिए। समस्या को गंभीरता से सुनने के बाद निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया कि अब किसी ने भी वेतन के प्रति लापरवाही की तो संबंधित को सस्पेंड किया जाएगा, उन्होंने निर्देश दिए कि समय सीमा में वेतन दिया जाए। इस अवसर पर श्याम सिंह चौहान, नारायण करोसिया, करण राज खरे, जिला संयोजक शिवम चौहान, अनिल कुशवाहा आदि लोग मौजूद थे।

आम सूचना

आप जन साधारण को सूचित किया जाता है की मेरी पक्षकार AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR, M.P., के द्वारा वर्णित अचल संपत्ति स्थित वार्ड क्रमांक : 07, गणेश मंदिर के पास, भवन क्रमांकः 164, दबोह, भिंड, म. प्र., का भाग। जिसका कुल क्षेत्रफल 360 वर्गफुट है। जिसकी चतुरसीमा निम्न प्रकार है: -पूर्व में 35 फुट रोड,पश्चिम मेः बसरत कि जगह, उत्तर मेः राजेन्द्र अग्रवाल का मकान,दक्षिण मेः संतोष गुप्ता का का मकान के संबंध में श्री अभिषेक शुक्ला पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासीः वार्ड क्रमांकः 15, कुचनीय मोहल्ला, दबोह / भिंड, म. प्र. एवं श्री कपिल अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल निवासीः वार्ड क्रमांक : 08, कोंच रोड, दबोह / भिंड, म. प्र. के मध्य एक लिखित विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित हो चुका है एवं पंजीकृत्य विक्रय पत्र निष्पादित होना है। यहकि उक्त वर्णित संपत्ति श्री कपिल अग्रवाल को जरिए पंजीकृत्य वसीयत क्रमांकः MP042862017 A3256253, दिनांकः 19-05-2017 से श्रीमती कमला देवी अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री मुन्नी लाल निवासीः गणेश चौक, दबोह, तहसील लहर, जिला भिंड, म. प्र. से वसीयत द्वारा प्राप्त हुई थी। यहकि उक्त वर्णित संपत्ति नगर परिषद दबोह, जिला भिंड, म. प्र. में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश दिनांक : 11-08-2016 प्रकरण क्रमांक : 20/16x3/11 से श्रीमती कमला देवी अग्रवाल के नाम से नामंत्रित है । यहकि उक्त वर्णित संपत्ति नगर परिषद दबोह जिला भिंड, म. प्र. के समेकित कर एवं संपत्ति कर रजिस्टर मे श्री मुन्नी लाल पुत्र श्री मथुरा प्रसाद अग्रवाल के नाम से बतौर भूमिस्वामी अंकित है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति को श्री अभिषेक शुक्ला एवं श्री कपिल अग्रवाल के मध्य होने वाले विक्रय पत्र पर हस्तक्षेप हो या स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी अग्रवाल अथवा स्वर्गीय श्री मुन्नी लाल का उत्तराधिकारी/ वारिसान होने का दावा करता हो तो आज दिनांक : 12-05-2026 से साथ दिन मे स्वयं मेरे कार्यालय अथवा AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH पर उपस्थित होकर अपना हस्तक्षेप या दावा दर्ज करावे, उक्त मियाद पश्चयात उक्त वर्णित संपत्ति उपरोक्त वर्णित बैंक में साम्य बंधकीत की जावेगी, सो सूचित हो, तत्पश्चात्त आपका हस्तक्षेप या दावा अस्वीकार्य एवं अमान्य होगा।

प्रेषक: संस्कार शर्मा (अधिवक्ता) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर कार्यालय:5-B सतीश निवास, अशोक कॉलोनी, खासगी बाज़ार, लश्कर ग्वालियर, (म.प्र.) मो. 9074602044

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

Website www.datiamedicalcollege.com
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच.-44जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक 3302/शा.चि.म./2026 दतिया, दिनांक-06/05/2026

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में नवीन जिम की स्थापना हेतु ऑनलाइन निविदा के माध्यम से अनुबंध किया जाना है। इस हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेण्ट) एवं समस्त निविदा संबंधी विवरण प्रकाशन दिनांक से राज्य शासन की अधिकृत ई-टेण्डरिंग बेवसाइट https://mptenders.gov.in पर डाउनलोड कर देखी जा सकती हैं एवं ऑनलाइन निविदा के प्रपत्र का मूल्य जी.एस.टी. सहित जमा कर क्रय की जा सकेगी। साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क देय होगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।

S. N.	Tender Description	Establishment of Gym in Govt Medical College Datia
1	Online Tender No.	2026 -DME -505358
2	Online Tender Fees (Non Refundable)	2000 .00+GST
3	EMD Fees	50,000.00
4	Publishing Start Date	12/05/2026 at 12 :00 PM
5	Document Download / Sale Start Date	13/05/2026 at 13 :00 PM
6.	Pre Bid Meeting Date	15/05/2026 at 12 :00 PM At Govt Medical College Datia
7.	Bid Submission Start Date	15/05/2026 at 13 :00 PM
8.	Bid Submission Closing Date	03/06/2026 at 17 :30 PM
9.	Bid Opening Date	05/06/2026 at 11 :00 AM

नोट - निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन आवश्यक होने पर https://mptenders.gov.in पर अपलोड किया जावेगा, पृथक से कोई भी सूचना नहीं दी जावेगी।

G-12711/26

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया (म.प्र.)

आम सूचना

श्री राजेन्द्र पाराशर पुत्र श्री ठाकुरदास पाराशर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम भगवापुरा, प.ह.नं.33, रा.नि.वृत थरेट, तहसील सेंवढ़ा व जिला दतिया (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.202 ग्राम भगवापुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्गफुट है और चतुसींमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में- सेंवढ़ा-दतिया रोड, पश्चिम में-सम्पत्ति जानकी प्रजापति, उत्तर में भूखण्ड ज्योति प्रजापति एवं दक्षिण में भूमि रामजानकी मंदिर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री बृजकिशोर, श्री बलराम, श्री मूलचंद पुत्रगण श्री ओछे एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री बृजकिशोर का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी श्री रामसिंह, श्री हरगोविन्द, श्री रामेश्वर पुत्रगण श्री बृजकिशोर, रामबेटी पुत्री श्री बृजकिशोर, श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बृजकिशोर उनकी सम्पति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती रामबेटी राजपूत एवं श्री राम सिंह द्वारा सम्पत्ति 0.3200 हैक्टेयर एरिया श्री राजेन्द्र पाराशर पुत्र श्री ठाकुरदास पाराशर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी22आईजीआर 17192025ए100712001 दिनांक 12.08.2025 से विक्रय की गई। श्री राजेन्द्र पाराशर उक्त सम्पति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती जयंती प्रजापति पत्नी श्री बृजेश कुमार प्रजापति के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती जयंती प्रजापति द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्रा. लि. दतिया के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री बृजकिशोर के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक- नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर मो. 98276-72710

आम-सूचना

श्री रामवीर कुशवाह पुत्र श्री रामशंकर कुशवाह के स्वत्व व स्वामित्व की अचल सम्पत्ति स्थित ग्राम अतरसुमा, तहसील व जिला मुरैना में है जो वार्ड क्र.04 (नया) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 907 ग्राम अतरसुमा का भाग है। एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है, जिसकी चतुसींमा निम्न प्रकार है :- पूर्व-रास्ता आम, पश्चिम-भूमि विक्रेता, उत्तर- रास्ता 18 फुट चौड़ा एवं दक्षिण-भूखण्ड राकेश कुशवाह है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री दर्शनलाल पुत्र श्री भोलाराम द्वारा श्री रामावतार सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामगोपाल कुशवाह एवं श्री अभिमन्यु कुशवाह पुत्र श्री श्रीकृष्ण कुशवाह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792018ए1560746 दिनांक 07.08.2018 से विक्रय की गई। श्री रामावतार सिंह कुशवाह एवं श्री अभिमन्यु कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री रामवीर कुशवाह पुत्र श्री रामशंकर कुशवाह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 25792019ए1103444 दिनांक 13.02.2019 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 07.08.2018 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्री रामवीर कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान संस्थान टायगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, बैंक, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 07.08.2018 की मूलप्रति प्राप्त हो अथवा आधिपत्य में हो, तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक- नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर मो. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 18, वार्ड क्रं 49, स्थान हारकोटा लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि भरत/स्व. सुन्दरदास टहलवानी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000228286 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 912 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-24032600504408 दिनांक 24.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गोरखी पानी की टंकी क्षे.क्र 18, पर दिनांक 08.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 83/2010/18809/41107 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - सुमित जैन/खूबचन्द्र जैन पता-हारकोटा लश्कर ग्वा0(म.प्र.) मो0-7987312311 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 17, वार्ड क्रं 39,स्थान पत्तल वाली गली,लोहाघर बजरिया ग्वा0 मे स्थित है जो कि उर्मिला दुबोलिया/ओमकार प्रसाद के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000174904 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 422 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-29092501436601 दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द ढोली बुआ का पुल क्षे.क्र 17, पर दिनांक 28.01.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58485/48677 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - रतिका शर्मा/नितिन शर्मा पता-पत्तल वाली गली, लोहाघर बजरिया ग्वा0(म.प्र.),मो0-9926107773 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 17, वार्ड क्रं 38, स्थान लाल कुंवर का पुरा लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि श्रीमती आशा देवी/स्व. धर्मपाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000229966 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 375 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602021ए1753038 दिनांक 03.09.2021 द्व ारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द ढोलीबुआ का पुल क्षे.क्र 17, पर दिनांक 11.05.2026को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58904/59095 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - बटुरीलाल कुशवाह/गुरंदीलाल पता-लाल कुंवर का पुरा ग्वा0(म.प्र.) मो0-9302921117 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 17, वार्ड क्रं 38, स्थान कोटा लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि हरी सिंह/केशव सिंह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 546 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/उत्तराधिकार द्व ारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द ढोलीबुआ का पुल क्षे.क्र 17, पर दिनांक 11.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58903/59094 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - राघवेन्द्र सिंह,लाखन सिंह/स्व. हरि सिंह पता-कोटा लश्कर ग्वा0(म.प्र.) मो0-8770615681 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि भूपसिंह/ बाबूलाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000230244 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 561 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-18842600671409 दिनांक 20.04.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द अजयपुर क्षे.क्र 24, पर दिनांक .... को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं.... प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - राहुल सिंह/अशोक सिंह पता-अजयपुर ग्वा0(म.प्र.),मो0-9165172976 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान गिरवाई ग्वा0 मे स्थित है जो कि धर्मवीर कुशवाह / स्व.श्री रामनाथ कुशवाह आदि के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000094142 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 2268 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602021ए1747180 दिनांक 02.09.2021 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द अजयपुर क्षे.क्र 24, पर दिनांक 11.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं.... प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - सुनील पाराशर/श्री संतोष पाराशर पता-गिरवाई ग्वा0(म.प्र.),मो0-9617796135 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 19, वार्ड क्रं 50,भवन क्रमांक-304,,स्थान रायसिंह का बाग ग्वा0 मे स्थित है जो कि दीपा, चुन्नीलाल, विनोद, लता,लोकेश/हेमराज ,चंद्रकुमार आदि के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000328565 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 1021 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602021ए1747180 दिनांक 02.09.2021 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द महाराज बाडा औषधालय क्षे.क्र 24, पर दिनांक 11.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं82/2011/25427/25513 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - कनिष्का आहूजा/सुनील आहूजा पता- रायसिंह का बाग ग्वा0(म.प्र.), मो0-9617796135 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 12, वार्ड क्रं 56,स्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा के पास आमखो ग्वा0 मे स्थित है जो कि किशनलाल कुशवाह/ घनश्याम के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000258974 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 880 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र /मृत्युउपरान्त द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द रोशनी घर क्षे.क्र 12, पर दिनांक 11.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 69/2010/67462/67588 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता - चंदन सिंह कुशवाह/स्व.किशनलाल आहूजा पता-आमखो ग्वा0(म.प्र.),मो0-9806475741 विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.05.2026